

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर

(प्लॉट नं. - 6, ऐवरेस्ट कॉलोनी, नियर अपेक्स मॉल, लाल कोठी, जयपुर)

क्रमांक: पैरामेडि.कौ / 2018 / 1097

दिनांक: 01-06-18

--:आदेश:-

राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों/संस्थाओं द्वारा नियमानुसार प्रतिवर्ष प्रति पाठ्यक्रम Rs. 25000/- मान्यता शुल्क देय है। कौंसिल द्वारा मान्यता प्राप्त सभी महाविद्यालयों/संस्थाओं को निर्देशित किया जाता है कि वे निर्धारित मान्यता शुल्क दिनांक 10.06.2018 से पूर्व आवश्यक रूप से डी.डी. के रूप में कौंसिल में जमा करवाए।

निकट भविष्य में नये शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की जा रही है। निर्धारित तिथि तक मान्यता शुल्क जमा नहीं करवाने वाली संस्थाओं की मान्यता समाप्त करते हुए उन्हें प्रवेश-प्रक्रिया व काउन्सिलिंग में शामिल नहीं किया जायेगा।



(जयसिंह)
आर.ए.एस.
रजिस्ट्रार

क्रमांक: पैरामेडि.कौ / 2018 / 1097

दिनांक: 01-06-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जयपुर।
2. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप - 3) विभाग जयपुर।
3. अध्यक्ष राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल, जयपुर।
4. कनिष्ठ लेखाकार, राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल मुख्यालय।
5. समस्त संस्था/कॉलेज को पालनार्थ।
6. लेखाशाखा राजस्थान पैरामेडिकल कौंसिल मुख्यालय।
7. प्रभारी सर्वर को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र वेबसाइट पर आज ही अपलोड करे।
8. रक्षित पत्रावली।


(जयसिंह)
आर.ए.एस.
रजिस्ट्रार